न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या :–2024 / 129

अपील संख्या 47 / 2024 तारीख रजू 26.06.2024

गोपाल पुत्र सीत्या बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.........अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.........रेस्पोडेन्ट

उपस्थित –	श्री मुकेश बंसल एडवोकेट	– प्रार्थी की ओर से
	पेरोकार सरकार	– अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 03.12.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार के निर्णय दिनांक 12.06.81 एवं नामान्तरकरण संख्या 711 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण में अपीलार्थी के पिता का नाम सीत्या के स्थान पर सोन्या के नाम पर खोला गया है जिसे खारिज किया जाकर अपीलार्थी के पिता का नाम सोन्या के स्थान पर सीत्या दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने बहस से पूर्व गोपाल पुत्र सीत्या बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द को दिनांक 11.6.81 को हुए आवंटन की प्रमाणित नकल पेश कर अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि आराजी ख0नं0 166 / 3, 167 / 1 वाके ग्राम पाली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में प्रार्थी के नाम अलोटमेंन्ट हुई थी। अलोटमेन्ट के बाद उक्त जमीन जो कि सिवायचक थी, प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण खुला जिसकी संख्या 711 है। उक्त नामान्तकरण अ[illegible] खोला गया जिसमें लिखा हुआ है कि 12 / 6 / 81 को राजस्व अभि[illegible] [illegible]रकर पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

"श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब के आदेशानुसार दिनांक 11/6/81 ख0नं0 166/3, 167/1 रकबा 1 बीघा का गोपाल पुत्र सोन्या बैरवा के नाम अलोटमेन्ट हुई है। अतः गैरखातेदारी स्वीकार है, पटवारी हल्का रिकार्ड अमल करे।" उक्त नामान्तकरण में प्रार्थी के पिता का नाम सीत्या के स्थान पर सोन्या लिख दिया गया एवं आगे भी जमाबंदी में पिता का नाम सोन्या अमल हो गया जबकि सीत्या होना चाहिए था। जमाबन्दी ख0नं0 507/166 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र सोन्या लिखा हुआ है जबकि पिता का नाम सीत्या होना चाहिए जबकि अन्य जमाबन्दी खाता सं0 नया 268 ग्राम पाली में प्रार्थी के पिता का नाम गोपाल पुत्र सीत्या लिखा हुआ है इसी प्रकार खाता सं0 269, 268 ग्राम पाली में पिता का नाम सीत्या लिखा हुआ है एवं अन्य दस्तावेज जनाधार कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड सभी में पिता का नाम सीत्या लिखा हुआ है एवं प्रार्थी के पिता का सही नाम सीत्या है लेकिन नामान्तकरण में सहवन भूल से सोन्या लिख दिया गया है जिसे दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 711 निरस्त कर नये सिरे से प्रार्थी के पिता का नाम सोन्या के स्थान पर सीत्या दर्ज कर खोलने का आदेश देने का निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 101 के अनुसार कृषि के राज्य की बिना नाप भूमि दिये जाने के लिए गोपाल बैरवा द्वारा एस0डी0ओ0 सवाई माधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अलोटमेन्ट कमेटी की अनुशंषा पर एस0डी0ओ0 सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 11.06.81 को गोपाल पुत्र सोन्या निवासी पाली को ग्राम पाली के ख0नं0 166/3, 167/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा गैर खातेदारी भूमि आवंटित की गई थी। दिनांक 25.06.81 को दो गवाहान की उपस्थिति में उक्त भूमि का कब्जा संभलवा दिया गया था। उक्त अलोटमेन्ट के आधार पर ही विवादित नामान्तकरण संख्या 711 खुला है जो कि सही खुला है। अपीलान्ट गोपाल पुत्र सीत्या निवासी क्यारदा खुर्द है जबकि उक्त ख0नं0 166/3, 167/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम पाली के निवासी गोपाल पुत्र सोन्या बैरवा को आवंटित हुई है। गोपाल पुत्र सीत्या बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द एवं गोपाल पुत्र सोन्या बैरवा निवासी पाली अलग–अलग व्यक्ति है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर तहसीलदार खण्डार के निर्णय दिनांक 12.06.81 नामान्तकरण संख्या 711 यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन नामान्तकरण, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अलोटमेन्ट आदेश की प्रमाणित प्रति एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 11.06.81 को गोपाल पुत्र सोन्या को ख0नं0 166/3, 167/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा गैर खातेदारी भूमि आवंटित हुई है। उक्त आवंटन आदेश हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में गोपाल पुत्र सीत्या बैरवा निवासी क्यारदाखुर्द अंकित है जबकि आवंटन आदेश में गोपाल पुत्र सोन्या निवासी पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अंकित है। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अपीलान्ट गोपाल पुत्र सीत्या बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तथा आवंटन आदेश में वर्णित गोपाल पुत्र सोन्या निवासी पाली एक ही व्यक्ति है। इस संबंध में तहसीलदार खण्डार से ग्राम क्यारदा खुर्द एवं ग्राम पाली में गोपाल पुत्र सीत्या एवं गोपाल पुत्र सोन्या की जानकारी प्राप्त की गई। तहसीलदार खण्डार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट गोपाल के पिता का वास्तविक नाम सीत्या बैरवा है। ग्राम क्यारदा खुर्द एवं ग्राम पाली में गोपाल पुत्र सोन्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट गोपाल के पिता का वास्तविक नाम सीत्या बैरवा है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार खण्डार के निर्णय दिनांक 12.06.81 के द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 711 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार खण्डार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर जांच के आधार पर नियमानुसार अपीलार्थी का सही नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner